माननीय न्यायमूर्ति *एम.एम. कुमार और जसवंत सिंह, जे.*

SARDAR *SINGIL* — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियांद की स्थिति *OTHERS*, --- *उत्तरदाताओं*

C.W.P. 2008 की संख्या 6781

10 जुलाई, 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, सिविल सेवा नियम, वॉल्यूम। Il-RI. 5.18-हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 4 जून, 2005 को जारी अधिसूचना 1995 का S.47 (3) अधिनियम किसी नियोक्ता के किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करता है, रैंक देने या कम करने के अधिकार पर निषेध करता है और यह कि ऐसे कर्मचारी को समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करने की अपेक्षा की जाती है- राज्य 1995 के अधिनियम के चालक और कंडक्टरों के पदों पर आवेदन को छोड़कर अधिसूचना जारी करता है, इसलिए, 1995 अधिनियम की धारा 47 की उप- धारा 3 और 4 के प्रावधानों पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूरी तरह से गलत है-S.47 (2) स्पष्ट रूप से 1995 अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देने की शक्ति के साथ एक उपयुक्त सरकार को वस्त्र पहनना - अधिसूचना में कोई कानूनी कमजोरी नहीं- याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि दिव्यांगता अधिनियम की धारा47 की उप- धारा3 किसी नियोक्ता के किसी ऐसे कर्मचारी को पद से हटाने या कम करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है और ऐसे कर्मचारी को समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करने की अपेक्षा की

जाती है। इस प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे व्यक्ति को तब तक अतिरिक्त पद पर रखा जाना चाहिए जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो। हालांकि, दिव्यांगता अधिनियम की धारा47 की उप- धारा 2 के प्रावधान के अनुसरण में, उत्तरदाताओं- हरियाणा राज्य ने14 जून, 2005 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों और कंडक्टरों के पदों पर दिव्यांगता अधिनियम के आवेदन को हटा दिया गया था, इसलिए, दिव्यांगता अधिनियम की धारा47 की उप- धारा3 और4 के प्रावधानों पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूरी तरह से गलत है। निःशक्तता अधिनियम की धारा47 की उप- धारा2 स्पष्ट रूप से एक उपयुक्त सरकार को किसी भी प्रतिष्ठान को निःशक्तता अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है।

(पैरा 7)

जसबीर मलिक, एडवोकेट फॉर द *याचिकाकर्ता*

रितु बहरी, डीएजी हरियाणा.

एम.एम. कुमार, जे.

(1) हरियाणा रोडवेज के एक चालक द्वारा दायर तत्काल याचिका को 25 सितंबर, 2006 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जो महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, गुड़गांव द्वारा पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को चिकित्सा विकलांगता के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 (संक्षिप्तता "विकलांगता अधिनियम" के लिए) द्वारा दिए गए अपने अधिकारों के अनुसरण में वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक हल्का कर्तव्य देकर किसी वैकल्पिक पद पर कार्यरत होने का हकदार है। उनके द्वारा किए गए उपरोक्त दावे की अगली कड़ी के रूप में, याचिकाकर्ता ने हरियाणा रोडवेज में चालकों और कंडक्टरों के पद को दिव्यांगता अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों से छूट देने वाले दिव्यांगता अधिनियम की धारा 47 की उप धारा 2 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य द्वारा दिनांक 4 जून, 2005 (अनुलग्नक पी-2) को जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी है।

(2) तत्काल याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 1 मार्च, 1987 को हरियाणा रोडवेज के साथ चालक के

रूप में सेवा में शामिल किया गया था। अपनी नियुक्ति के समय, उन्हें भारी वाहन चलाने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया था। हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता ने अपनी चिकित्सा जांच के लिए एक आवेदन दायर किया और सिविल सर्जन, गुड़गांव ने 14 सितंबर, 2006 के अपने पत्र के माध्यम से हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को भारी वाहन चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था-15 सितंबर, 2006 से प्रभावी पत्र दिनांक 25 सितंबर, 2006 (अनुलग्नक पी-4) द्वारा पंजाब सिविल सेवा नियम (वॉल्यूम। आईएल) संक्षिप्तता के लिए "सीएसआर" वॉल्यूम. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के बजाय, वह विकलांगता अधिनियम की धारा 1 द्वारा उसे प्रदान किए गए अधिकारों के अनुसार हल्के कर्तव्य के साथ एक पद पर सेवा में बने रहने का हकदार था। इस संबंध में, कुणाल सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है (1) तदनुसार, यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने रोजगार के दौरान भारी वाहन चलाने के लिए अयोग्य होने की अक्षमता प्राप्त कर ली है और विकलांगता अधिनियम के प्रावधान उस पर पूरी तरह से लागू होंगे। याचिकाकर्ता ने परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1992 (अनुलग्नक) को जारी किए गए निर्देशों को भी चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग चालक को दिनांक 4 जून, 2005 (अनुलग्नक पी-2) की अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, जिसमें हरियाणा रोडवेज में चालकों और कंडक्टरों के पदों को दिव्यांगता अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों से छूट दी गई है।

(3) प्रतिवादी नं की ओर से दायर लिखित बयान में। । से 4 तक, लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता उच्च रक्तचाप और पुरानी गुर्दे की विफलता का रोगी रहा है और वह चालक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ है। उनके अनुरोध पर सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उनकी चिकित्सकीय जांच कराई और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। तदनुसार, उन्हें पंजाब सीएसआर खंड के नियम 5.18 को लागू करके व्यापक लोक हित में सेवा से बाहर कर दिया गया था। आईएल। प्रतिवादियों ने आनंद बिहारी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है (2). प्रतिवादियों ने यह भी दलील दी है कि दिव्यांगता अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा 2 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा रोडवेज में काम करने वाले चालकों और कंडक्टरों के पदों को दिव्यांगता अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा गया है।

(4) पक्षकारों के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता ने 19 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान की थी और केवल चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर, प्रतिवादी नियम 5.18 पंजाब सीएसआर खंड के प्रावधानों के अनुसरण में उसे सेवा से बाहर करने के अपने अधिकार के भीतर थे। आईएल। उपरोक्त नियम को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता है जो इस प्रकार हैः
"एक सरकारी कर्मचारी जिसने आगे की सेवा के लिए असमर्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, यदि वह ड्यूटी पर है, तो अपने कर्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से सेवा से अक्षम हो जाएगा, जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के लगाया जाना चाहिए या, यदि उसे इन नियमों के नियम 8.18, खंड 1, भाग 1 के तहत छुट्टी दी जाती है, तो ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर। यदि वह चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के समय अवकाश पर है, तो वह इन नियमों के नियम 8.18, खंड ।, भाग 1 के अधीन उसे दी गई उस अवकाश की समाप्ति या अवकाश के विस्तार, यदि कोई हो, पर सेवा से अक्षम होगा।"

ध्यान दें **— 1 पुलिस के हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों के मामले में इस नियम द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट सरकार के बजाय पुलिस महानिरीक्षक को प्रस्तुत की जा सकती है।**

ध्यान दें **— 2 जब किसी सरकारी कर्मचारी को इम्पेलमेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के बाद सेवा में रखा जाता है, और इसलिए, इन नियमों के भाग I के खंड I के नियम 8.18 के तहत छुट्टी दी जाती है, तो उसे पेंशन के लिए दूसरे उप-पैराग्राफ के तहत अधिकतम अवधि की अनुमति दी जा सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट की तारीख के बाद की सेवा छह महीने से अधिक नहीं होगी।"**

(५) यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने चिकित्सा के लिए आवेदन किया था और उसका अनुरोध महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, गुरुग्राम द्वारा सिविल सर्जन को भेज दिया गया है। सिविल सर्जन, गुड़गांव की 14 सितंबर, 2006 की रिपोर्ट पर, याचिकाकर्ता को 25 सितंबर, 2006 के आदेश द्वारा 15 सितंबर, 2006 से प्रभावी चिकित्सा बांड पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इन तथ्यों की जांच पंजाब के नियम 5.18 सीएसआर Vol.II के प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए। (as applicable to State of Punjab). नियम के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी जब आगे की सेवा में बने रहने के लिए अपनी क्षमता में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे बिना किसी देरी के सेवा से अमान्य कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, हरियाणा राज्य को पंजाब सीएसआर खंड के नियम 5.18 के मापदंडों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। आईएल। अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति का क्रम अनिवार्य रूप से दर्शाता है कि यह व्यापक लोक हित में है क्योंकि एक विकलांग चालक का भारी वाहन

चलाना न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन के लिए भी संभावित खतरा होगा जैसे कि यात्री, सड़क का उपयोग करने वाले और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो सड़क के हैं।

.

(6) आनंद बिहारी के मामले (ऊपर) में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1992 (अनुलग्नक पी-1) के निर्देशों को जारी करने का आधार प्रतीत होता है। 25 सितंबर, 2006 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-4) उन निर्देशों के अनुरूप है जो स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि यदि कोई चालक अपने रोजगार से संबंधित बीमारी के कारण अयोग्य हो गया है तो उसे नियम 5.18 सीएसआर खंड द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। आईएल। यदि चिकित्सा अयोग्यता रोजगार के खतरे के लिए पता लगाने योग्य बीमारी के कारण नहीं है, तो नियम 5.18 सीएसआर वॉल्यूम। आईएल आकर्षित होता है और ऐसे मामलों में जहां उसकी चिकित्सा अयोग्यता का कारण व्यवसाय के खतरे या उसके आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित है, तो वैकल्पिक रोजगार खोजने के लिए प्रभाव डालने की आवश्यकता होती है। 14 सितंबर, 2006 की चिकित्सा रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता उच्च रक्तचाप और दीर्घकालिक गुर्दे की विफलता से पीड़ित है। इसके अलावा, प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 1 से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता उच्च रक्तचाप और दीर्घकालिक गुर्दे की विफलता का रोगी रहा है। यह उत्तरदाताओं का अनियंत्रित रुख है कि याचिकाकर्ता की बीमारी उसके रोजगार या उसके व्यावसायिक खतरे से संबंधित नहीं थी। जैसा कि योग्यता के आधार पर लिखित कथन के पैरा 2 में कहा गया है, इसलिए हमारा विचार है कि 25 सितंबर, 2006 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी4) इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।.

(7) यह सत्य है कि निःशक्तता अधिनियम की धारा 47 की उपधारा 3 किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान निःशक्तता प्राप्त करता है, पद से हटाने या कम करने के नियोक्ता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है और यह कि ऐसे कर्मचारी को उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे व्यक्ति को तब तक अतिरिक्त पद पर रखा जाना चाहिए जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो। हालांकि, दिव्यांगता अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा 2 के प्रावधान के अनुसरण में, हरियाणा राज्य ने हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों और कंडक्टरों के पदों पर दिव्यांगता अधिनियम के आवेदन को छोड़कर दिनांक 14 जून, 2005 (अनुलग्नक पी-2) को एक अधिसूचना जारी की। इसलिए, विकलांग अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा 3 और 4 के प्रावधानों पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूरी तरह से गलत है। निःशक्तता अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा 2 स्पष्ट रूप से एक उपयुक्त सरकार को मेरे

प्रतिष्ठान को निःशक्तता अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्रदान करती है। उपर्युक्त उपबंधों का सुसंगत भाग इस प्रकार हैः

:

"“धारा 47

GOVT में गैर-प्रसार। रोजगार

([1])

(२) किसी व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगाः :

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्त के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान को छूट दे सकती है। ”".

(8) उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए इसे इस धारा के प्रावधानों से छूट देती है और तदनुसार अधिसूचना दिनांक 4 जून, 2005 (अनुलग्नक पी-2) उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुणाल सिंह के मामले (सुप्रा) में यह देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया है कि धारा 47 के प्रावधानों को किसी भी अधिसूचना के जारी होने से बाहर नहीं किया गया था, हालांकि, अधिसूचना को भारत सरकार बनाम संजय कुमार जैन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहिए (3). निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 47 (2) के उपबंध किसी उपयुक्त सरकार को किसी भी प्रतिष्ठान को विकलांगता अधिनियम की धारा 47 के उपबंधों से छूट देने की बेलगाम शक्ति नहीं देते हैं। यह आगे निर्धारित किया गया है कि यह (ए) अधिसूचना जारी करके और (बी) अधिसूचना में आवश्यक शर्तों को निर्धारित करके किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, एक अधिसूचना तब जारी की जा सकती है जब उपयुक्त सरकार किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए विकलांग अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों से ऐसे प्रतिष्ठान को छूट देना उचित समझती है। पहली शर्त वहाँ पूरी होती है, सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।

दूसरी शर्त का भी पालन किया जाता है क्योंकि हरियाणा स:

सड़क मार्ग हरियाणा रोडवेज में किए गए काम के प्रकार को ध्यान में रखते हुए केवल ड्राइवरों और कंडक्टरों के पदों को छूट दी गई है। इसलिए, हमारा विचार है कि 4 जून, 2005 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-2) में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है और यह संजय कुमार जैन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित आवश्यक मानदंडों का जवाब देता है (Supra). इसके अलावा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने 19 साल से अधिक की सेवा प्रदान की थी और उन्हें नियम के अनुसार पेंशन दी गई है। इस प्रकार, याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।,

(9)उपरोक्त चर्चाओं की अगली कड़ी के रूप में यह याचिका विफल हो जाती है और
वही खारिज किया जाता है.

R.N.R.

के। कन्नन से पहले, जे.

श्याम सुंदर प्रो, MiS टीसी फिलिंग स्टेशन
***(AD HOC)* HPC PETROL PUMP, विलेज AJRAWAR**
DISTRICT KURUKSHETRA, — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ *अन्य,_उत्तरदाताओं*

2009 का CPW नंबर 16469

3 मार्च, .2009 - ·पीएफ I

भारत का संविधान, 1950 — कला. 226 — रद्द करना पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेट का अस्थायी डीलरशिप — स्थायी आधार पर डीलरशिप का दावा करने वाला याचिकाकर्ता — रिकॉल इन विज्ञापन कहीं भी नहीं दिखाते हैं कि निमंत्रण लोगों का था पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप स्थापित करने के लिए इच्छुक — स्थापना खुदरा के लिए बिक्री या पट्टे की पेशकश के लिए निमंत्रण था पेट्रोलियम कंपनी के आउटलेट — डीलरशिप ने याचिकाकर्ता को नहीं दिया एक लंबी अवधि के लिए — 15 दिनों के नोटिस प्रदान करने वाला पत्र व्यवस्था की समाप्ति के लिए — विशुद्ध रूप से संविदात्मक मामला —

नहीं किसी भी विशेषाधिकार के माध्यम से उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप— याचिका लागत के साथ खारिज कर दिया.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी (**हरियाणा**)